रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13112025-267609
CG-DL-E-13112025-267609

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 749] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 12, 2025/कार्तिक 21, 1947
No. 749] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 12, 2025/KARTIKA 21, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2025

सा.का.नि. 835(अ).— केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 499(अ) तारीख 22 जुलाई, 2025 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिनमें उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध कराई गई थी, तीस दिन की अवधि के अवसान के पूर्व प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को 28 जुलाई, 2025 को जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (सातवां संशोधन) नियम, 2025 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 62 के उपनियम (1) में,--

(क) खंड (खक) में, "तीन वर्ष", शब्दों के स्थान पर, "एक वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) पहले परंतुक में, "फिटनेस प्रमाणपत्र" शब्दों के पूर्व "ई-रिक्शा और ई-कार्ट सहित सभी यातायात यानों का" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ग) पहले परंतुक के पश्चात्, सारणी में, क्रम सं. 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"1	2	3	4	5	6	7	8
(21)	ई-रिक्शा और ई-कार्ट की अधिकतम गति	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	यान सीधे या सपाट मार्ग पर (पूर्णतया चार्ज और पूर्ण त्वरण स्थिति के साथ) बिना भार अवस्था में चलाया जाएगा और जब यान पूर्ण गति प्राप्त कर लेता है तो अधिकतम गति नियत दूरी (माना कि पचास मीटर) तक चलाने में लगे समय को माप कर संगणित की जाएगी । यान की अधिकतम गति 25 कि.मी./घंटा से अधिक नहीं होगी ।"।

3. उक्त नियमों के नियम 100 के उपनियम (1) में, 1 अप्रैल, 2026 से, "और कम्बाइन हारवेस्टर" शब्दों के स्थान पर, ", कम्बाइन हारवेस्टर, ई-रिक्शा और ई-कार्ट" शब्द रखे जाएंगे ।

4. उक्त नियमों के नियम 101 के उपनियम (2) में, खंड (iii) के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2026 से निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(iii) क्वाड्रीसाइकल, ई-रिक्शा और ई-कार्ट के मामले में समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-045 ।"।

5. उक्त नियमों के नियम 117 के उपनियम (1) में, 1 अप्रैल, 2026 से,--

(क) "या ई-रिक्शा और ई-कार्ट या यान" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) तीसरे परंतुक में, "तीस किलोमीटर प्रति घंटा", शब्दों के पूर्व, "ई-रिक्शा और ई-कार्ट को छोड़कर", शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

6. उक्त नियमों में नियम 125थ के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"125द. ई-रिक्शा और ई-कार्ट के लिए विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं—(1) 1 अप्रैल, 2026 को और उसके पश्चात् प्रकार अनुमोदन प्रक्रिया के भाग के रूप में सभी ई-रिक्शा और ई-कार्ट विनिर्माताओं की, गुणवत्ता नियंत्रण स्थापित करने के लिए, उनकी विनिर्माण सुविधाओं और प्रक्रिया की संपरीक्षा कराई जाएगी ।

(2) संपरीक्षा, ई-रिक्शा और ई-कार्ट के प्रकार अनुमोदन प्रक्रिया को करने वाले परीक्षण अभिकरण द्वारा की जाएगी :

परंतु वैध आईएटीएफ प्रमाणन या समतुल्य रखने वाले विनिर्माता के लिए संपरीक्षा का विस्तार केवल दस्तावेज सत्यापन तक सीमित होगा ।

(3) 1 अप्रैल, **2027** को या उसके पश्चात् विनिर्मित सभी ई-रिक्शा या ई-कार्ट लिथियम-आयन बैटरी पैक से सुसज्जित होंगे और उनकी निष्पादन अपेक्षाएं, समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-**156** (भाग **1**) और (भाग **2**) के अनुसार होंगी ।" ।

[फा. सं. आरटी-11036/109/2024-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि.819(अ), तारीख 3 नवंबर,2025 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2025

G.S.R. 835 (E)-Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways vide number G.S.R. 499(E), dated the 22nd July, 2025, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 28th July, 2025;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Seventh Amendment) Rules, 2025.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, (hereinafter referred as the said rules), in rule 62, in sub-rule (1) –

(a) in clause (ba), for the words "three years", the words "one year" shall be substituted.

(b) in the first proviso, after the words "fitness certificate", the words "of all transport vehicles including E-rickshaw and E-cart" shall be inserted.

(c) after the first proviso, in the TABLE, after serial number (20) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

"1	2	3	4	5	6	7	8
(21)	Maximum speed for E-rickshaw and E-cart.	No	No	No	No	Yes	The vehicle shall be driven in unladen condition (with full charge and at full accelerator position) on straight or flat road and when the vehicle attains full speed, the maximum speed shall be calculated by measuring time taken to travel fixed distance (say 50 meters). The maximum speed of the vehicle shall not be more than 25 km/hour.".

3. In the said rules, in rule 100, with effect from the 1st day of April, 2026, in sub-rule (1), for the words "and combine harvester", the words ", combine harvester, E-Rickshaw and E-cart" shall be substituted.

4. In the said rules, in rule 101, in sub-rule (2), for clause (iii), the following clause shall be substituted, with effect from the 1st day of April, 2026, namely: -

"(iii) AIS-045, as amended from time to time, in the case of Quadricycles, E-rickshaw and E-cart.".

5. In the said rules, in rule 117, in sub-rule (1), with effect from the 1st day of April, 2026, –

(a) the words "or an E-rickshaw or E-cart or a vehicle" shall be omitted;

(b) in the third proviso, after the words "thirty kilometers per hour", the words "excluding E-rickshaw or E-cart" shall be inserted.

6. In the said rules, after rule 125-Q, the following rule shall be inserted, namely:-

"125-R. Specific requirements for E-rickshaw and E-carts. – (1) On and after the 1st day of April, 2026 all manufacturers of E-rickshaw and E-cart, as part of the type approval procedure, shall undergo an audit of their manufacturing facilities and process, to establish quality control.

(2) The audit shall be done by the test agency, undertaking the type approval process of E-rickshaw and E-cart:

Provided that for a manufacturer possessing a valid IATF certification or equivalent, the scope of audit shall be limited to document verification only.

(3) All E-rickshaw or E-cart manufactured on or after the 1st day of April, 2027 shall be fitted with lithium-ion battery packs and the performance requirements of the same shall be as per AIS-156 (Part 1) and (Part 2), as amended from time to time.".

[F. No. 11036/109/2024-MVL]
MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section(i) vide G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide G.S.R. 819(E) dated the 03rd November 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.11.13 15:03:09 +05'30'